

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 511/16

निर्णय दिनांक 6-11-12

रफीक मोहम्मद पुत्र सैयद खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 2 पीएम 11
तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

-अपीलांट

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

-रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26-06-2015
सहायक उपनिवेशन आयुक्त इगानप, कोलायत



उपस्थित:-

1. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 26-06-2015 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन में आवंटित भूमि निरस्त की गई, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।
3. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक नम्बर 3-4 एस.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 50/55 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु दिनांक 01-05-2010 को विशेष आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप आवंटन सहायक समिति की राय से आवंटन किये जाने के उपरान्त अपीलांट द्वारा 20 प्रतिशत राशि जरिये चालान नम्बर 17 दिनांक 11-05-2010 को ही जमा करवा दी गई। जिसका अंकन पत्रावली पर दर्ज है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन बिना कोई नोटिस दिये, बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये निरस्त कियो गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। आवंटन अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन(सतर्कता) बीकानेर के पत्र क्रमांक एफ-12(क)11/सप्र/11/263 दिनांक 13-03-2012 प्राप्त होने पर पत्रावली पेश हुई। आवंटन किस आधार पर खारिज किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन द्वारा पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। मियांद अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।



4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-06-2015 के विरुद्ध अपील दिनांक 07-12-16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। उन्होंने आगे बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन(सतर्कता) बीकानेर के पत्र क्रमांक एफ-12(क)11/सप्र/11/263 दिनांक 13-03-2012 में जारी निर्देशों के अनुशरण में पत्रावली पेश होने पर दिनांक 01-05-2010 को किये गये विशेष आवंटन एवं विशेष आवंटन हेतु आमंत्रित प्रार्थना पत्रों में अनियमितता की शिकायत होने पर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01-05-2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों को बाद जाँच निस्त योग्य पाये जाने पर निरस्त किये गये है। अतः

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक नम्बर 3-4 एस.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 50/55 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि दिनांक 01-05-2010 को विशेष आवंटन में आवंटित की गई थी।



उपरोक्त आवंटन के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर के पत्र क्रमांक एफ-12(क)11/सप्र/11/263 दिनांक 13-03-2012 में जारी निर्देशों के अनुशरण में पत्रावली पेश होने पर दिनांक 01-05-2010 को किये गये विशेष आवंटन एवं विशेष आवंटन हेतु आमंत्रित प्रार्थना पत्रों में अनियमितता की शिकायत होने पर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01-05-2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों को बाद जाँच निरस्त योग्य पाये जाने पर निरस्त किये गये है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-06-2015 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट विशेष आवंटन हेतु नये सिरे से आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है, तथा अपीलांट द्वारा जमा धरोहर राशि नये सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित करने पर समायोजित की जावे।

चूँकि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट से अंकित किया है कि अपीलांट नये सिरे से आवंटन हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश की पालना में नये सिरे से आवंटन हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोई करें। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त इगानप कोलायत का आदेश दिनांक 26-06-2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।



(~~डॉ. रमेश कुमार शर्मा~~)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर